मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14/05/2022

क्रमांक एफ 1-14/2022/18-3

प्रति,

कलेक्टर
जिला - बालाघाट, सागर, खंडवा
अनूपपुर, सिंगरौली, रायसेन
मध्यप्रदेश।

विषय :- नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमन किये जाने के संबंध में कार्यक्रम।

संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 10.05.2022

----00----

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें, जिसमें नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमन की कार्यवाही किये जाने हेतु समय-सारणी निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. (सिविल) 278/2022-सुरेश महाजन विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 को निकायों के निर्वाचन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। उक्त आदेश के पालन हेतु संदर्भित पत्र में उल्लेखित समय-सारणी निम्नानुसार संशोधित की जाती है :-

क्र.	कार्यवाही	निर्धारित तिथि
1	वार्डो की संख्या का निर्धारण एवं वार्ड परिसीमन संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन	**20 मई 2022 तक**
2	दावे/आपित्तयों का निराकरण पश्चात अंतिम प्रकाशन हेतु आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित किया जाना।	**31 मई 2022 तक**
3	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा परीक्षण उपरांत विभाग को प्रेषित करना।	**03 जून 2022 तक**
4	वार्ड विभाजन का अंतिम प्रकाशन।	**6 जून 2022 तक**
5	वार्ड आरक्षण।	**10 जून 2022 तक**
6	वार्ड आरक्षण का प्रकाशन।	**14 जून 2022 तक**

कृपया उपरोक्त समय-सारणी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ.क्रमांक एफ 1-14/2022/18-3 भोपाल, दिनांक 14/05/2022

प्रतिलिपि:-

1. सचिव म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन 58 अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.,
2. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल
3. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास की ओर आपके संभाग की नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमन के संबंध में जिला कलेक्टरों से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करने के लिए प्रेषित।
4. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
5. श्री नरेन्द्र भगत, बेव कांटेन्ट संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग